चिकित्सा उपकरण एवं अस्पताल नियोजन विभाग MEDICAL EQUIPMENT AND HOSPITAL PLANNING DEPT

संदर्भ/Ref: एमएचडी 09/ए -6 दिनांक: <mark>01.08.2019</mark>

विषय/Sub: एम.एच.डी 09 के भारतीय मानकों की पुन: पुष्टि / Reaffirmation of Indian Standards of MHD 09

निम्न्लिखित भारतीय मानकों की कृत्रिम अंग, पुनर्वास उपकरण और दिव्यांगजनों के लिये उपकरण विषय समिति (एम.एच.डी 09) द्वारा पांच साल की अवधि के लिए अगस्त 2019 से फिर से पृष्टि की गई है जैसा कि नीचे सूची में दिया गया है।

The Indian Standards listed below have been reaffirmed by Artificial Limbs, Rehabilitation Appliances and Equipment for Person with Disability, Sectional Committee, MHD 09 from w.e.f August 2019 for a further period of five years as indicated below:

S. No	IS. No.	Title	Reaffirmation
			due
1	IS 12683 (Part 3)	Measuring devices for visually impaired Persons –	August 2019
	: 2000	Specification Part 3 : Goniometer	
2	IS 13970 (Part 3)	Prosthetics and orthotics Vocabulary Part 3 Terms	August 2019
	: 1994	relating to external orthoses	-

आई.टी.एस से अनुरोध है कि सभी संबंधित पक्षों की जानकारी के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट और इंट्रानेट पर परिपत्र अपलोड करें।

ITS is requested to upload the circular on BIS Website & Intranet for information to all concerned.

(प्रकाश बचानी)

वैज्ञानिक 'ई' एवम् प्रम्ख (एम.एच.डी)

प्रमुख (आई टी एस)